



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2016/आषाढ़ 14, 1938

No. 461]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2016/ASADHA 14, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 666(ब).—केन्द्रीय सरकार, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 8 के साथ पठित धारा 32 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम एवं आरंभ : (1) इन नियमों को तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम, 2016 कहा जाएगा।
(2) वे शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 (जिसे एतदपश्चात् मूल नियम कहा गया है), के नियम 2 में, खण्ड (च) के बाद, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
(चक) "सरकार" से 'केन्द्रीय सरकार' अभिप्रेत है;
- मूल नियम में, नियम 28 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
"28. अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कर्तव्य –
(1) अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
(2) अध्यक्ष को, केन्द्रीय सरकार के समक्ष इस संबंध में निर्णय लंबित रहने तक बोर्ड अथवा समिति द्वारा, जैसा मामला हो, लिए गए निर्णय के अनुसरण में बोर्ड अथवा उसकी किसी समिति द्वारा की जा रही कार्रवाई को आस्थगित रखने का अधिकार होगा।
(3) जहाँ किसी मामले का बोर्ड अथवा समिति द्वारा निपटान किया जाना है और उस मामले पर निर्णय के लिए बोर्ड अथवा समिति, जैसा मामला हो, की बैठक के आयोजन तक इंतजार नहीं किया जा सकता है अथवा उस मामले से संबंधित संकल्प का बोर्ड या समिति, जैसा मामला हो, के सदस्यों के बीच परिचालन तक, अध्यक्ष स्वयं निर्णय ले सकेंगे।

(4) जहाँ अध्यक्ष उप-नियम (3) के तहत निर्णय लेते हैं वहाँ वह उसे बोर्ड अथवा समिति, जैसा मामला हो, की अगली बैठक में इस मामले का अनुसमर्थन कराने के लिए प्रस्तुत करेंगे।

परंतु शर्त यह है कि जहाँ बोर्ड अथवा समिति, अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई का संशोधन करती है अथवा उसे निरस्त करती है, तो यह संशोधन अथवा निरसन इस संशोधन अथवा निरसन से पूर्व की गई किसी कार्रवाई की वैधता के पूर्वाग्रह के बिना होगा।

4. मूल नियम में नियम 29 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"29 कार्यपालक निदेशक की शक्तियाँ एवं कर्तव्य:- (1) कार्यपालक निदेशक बोर्ड के प्रमुख कार्यपालक होंगे और वह इस अधिनियम के तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन बोर्ड के उचित कार्य संचालन तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) कार्यपालक निदेशक को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात्:-

- (i) बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करना;
- (ii) बोर्ड के सभी विभागों एवं कार्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना ;
- (iii) बोर्ड के कार्यों का समुचित निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे गए या इस अधिनियम अथवा इन नियमों के अंतर्गत यथापेक्षित दस्तावेजों और रिकार्डों को मंगा सकेगा और व्यवसायों अथवा सॉफ्टिंग, क्यूरिंग, प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, विनिर्माण, पैकिंग, भंडारण अथवा नीलामी स्थानों सहित किसी भूमि अथवा परिसर का निरीक्षण करना अथवा निरीक्षण करवाना;
- (iv) बोर्ड के कार्यालय के कार्य संचालन हेतु अपेक्षित आकस्मिक व्यय, आपूर्तियों अथवा सेवाओं तथा वस्तुओं की खरीद की संस्वीकृति प्रदान करना; तथा
- (v) तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 8 में उल्लिखित उपाय करना ।

(3) कार्यपालक निदेशक वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन तथा आंतरिक विपणन का विनियमन करने, उपजकर्ताओं को उचित एवं लाभकारी कीमत सुनिश्चित कराने, बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाने पर उपजकर्ताओं से वर्जीनिया तंबाकू की खरीद करने, इस प्रकार क्रय की गई तंबाकू की बिक्री करने, उपजकर्ताओं के स्तर पर वर्जीनिया तंबाकू के ग्रेडिंग का संवर्धन करने, तथा तंबाकू उद्योग के संवर्धन हेतु प्रायोजन करने, सहायता प्रदान करने, समन्वयन करने या वैज्ञानिक, तकनीकी एवं आर्थिक अनुसंधान करने हेतु बोर्ड की नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। कार्यपालक निदेशक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि इन कार्यों का निष्पादन करने में बोर्ड यूनियन, एजेंसियों, संस्थानों और प्राधिकारियों, जैसे विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय आदि, जैसे प्राधिकरणों, जिनका तंबाकू उद्योग के इन पहलुओं से संबंध है, के निकट समन्वय से कार्य करते हैं और कार्य के दोहराकरण से बचा जाता है।

(4) कार्यपालक निदेशक अपने प्रभार के अंतर्गत कार्यों तथा उप नियम (3) में परिगणित कार्यों के बारे में बोर्ड को ऐसी आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिन्हें बोर्ड या सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित किया जाए।"

5. मूल नियमों के नियम 30 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किये जाएंगे अर्थात् :-

" 30 सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

(1) सचिव, बोर्ड अथवा उसकी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए तथा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी होंगे।

(2) कार्यपालक निदेशक द्वारा यथा प्रत्यायोजित शक्तियों एवं कर्तव्यों के अधीन सचिव-

- (क) बोर्ड में प्रस्तुत किए गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों एवं मामलों को यथाव्यवहार्य अति शीघ्र मंगवाएंगे ;
- (ख) बोर्ड के निर्णयों का अनुपालन कराने के तरीकों के संबंध में निदेश जारी करेंगे ;

(ग) बोर्ड के व्यय एवं प्राप्तियों का एक खाता रखेंगे अथवा अनुरक्षित रखवाएंगे और इस अधिनियम अथवा इन नियमों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित विभिन्न रजिस्टर रखवाएंगे।

(ङ.) अधिनियम की धारा 10 से 13 के अंतर्गत बोर्ड में पंजीकरण हेतु उपजकर्ताओं, क्यर्स निर्यातकों, पैकर्स, नीलामीकर्ताओं, डीलरों, नीलामी मंचों के स्वामियों अथवा लीज प्रदाताओं से आवेदन प्राप्त करेंगे, बोर्ड की नीति, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार उनकी जांच करेंगे और आवेदकों के आवेदनों पर आवश्यक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेंगे अथवा अन्यथा निर्णय की सूचना देंगे।

(च) अधिनियम में और उसके अधीन बनाए गए नियमों में उल्लिखित उपबंधों तथा तंबाकू बोर्ड द्वारा यथा निर्देशित दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध लिखित या मौखिक अपील प्राप्त करेंगे और उन पर समुचित कार्रवाई करेंगे।

(छ) बोर्ड के कार्यकरण संबंधी वार्षिक मसौदा रिपोर्ट अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और वह रिपोर्ट बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्ररूप में केंद्रीय सरकार को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष पुरस्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्धारित तारीखों के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

(ज) कार्यपालक निदेशक के सभी प्रशासनिक मामलों में तथा कार्यपालक निदेशक द्वारा यथानिर्धारित अन्य सभी मामलों के निर्वहन में सहायता करेंगे।

[फा.सं 2/3/2016-ईपी(एग्जी-VI)]

अनीता प्रवीण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2016

G.S.R. 666(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 32 read with section 8 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975) the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Tobacco Board Rules, 1976 namely:-

- 1 Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Tobacco Board (Amendment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2 In the Tobacco Board Rules, 1976 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-
'(fa) "Government" means the Central Government;'.
(fa) "Government" means the Central Government;'
- 3 In the principal rules, for rule 28, the following rule shall be substituted, namely:-
"28. Powers and Duties of Chairman.-
(1) The Chairman shall preside over the meetings of the Board.
(2) The Chairman shall have power to require the Board or any committee thereof to defer taking action in pursuance of any decision taken by the Board or the Committee, as the case may be, pending a reference to the Central Government on such decision.
(3) Where a matter has to be disposed of by the Board or a Committee and a decision in respect of that matter cannot wait till a meeting of the Board or the Committee, as the case may be, is held or till the circulation of the resolution relating to that matter among the members of the Board or Committee, as the case may be, the Chairman may take the decision himself.

(4) Where the Chairman takes a decision under sub-rule (3), he shall submit the same for ratification to the Board or the Committee, as the case may be, at its next meeting.

Provided that where the Board or the Committee modifies or cancels the action taken by the Chairman, such modification or cancellation shall be without prejudice to the validity of any action taken before such modification or cancellation.”

4 In the principal rules, for rule 29, the following rule shall be substituted, namely:-

“29. Powers and Duties of Executive Director.- (1) The Executive Director shall be the Chief Executive of the Board and shall be responsible for the proper functioning of the Board and for the discharge of its functions under the Act and the rules made there under.

(2) The Executive Director shall have the following powers, namely:-

- (i) to grant leave to all officers and employees of the Board;
- (ii) to exercise administrative control over all departments and offices of the Board;
- (iii) to call for documents and records and to inspect or cause to be inspected any land or premises including places of business or sorting, curing, processing, grading, manufacture, packing, storage or auction as required under the Act or these rules or as may be considered necessary for discharging properly any of the functions of the Board;
- (iv) to sanction expenditure for contingencies, supplies and services and purchase of articles required for the working of the office of the Board; and
- (v) to carry out measures referred to in section 8 of the Tobacco Board Act, 1975.

(3) The Executive Director shall be responsible for implementing the Boards policies in regard to regulation of production and internal marketing of Virginia tobacco, ensuring a fair and remunerative price to growers, purchasing of Virginia tobacco from the growers when considered necessary by the Board, the disposal of the tobacco so purchased, promoting the grading of Virginia tobacco at the level of growers, sponsoring, assisting, coordinating or encouraging scientific, technological and economic research for the promotion of the tobacco industry. It shall also be the responsibility of the Executive Director to ensure that in carrying out these functions, the Board works in close liaison with union agencies, institutions and authorities such as the Directorate of Marketing and Inspection, the Indian Council of Agricultural Research etc., which may be concerned with these aspects of the tobacco industry and avoids duplication of effort.

(4) The Executive Director shall present to the Board such periodical reports in respect of the work under his charge and the functions enumerated in sub-rule(3), as may be specified from time to time by the Board or the Government.”

5 In the principal rules, for rule 30, the following rule shall be substituted, namely:-

“30. Powers and Duties of Secretary.-

- (1) The Secretary shall be responsible for the implementation of the decisions arrived at by the Board or by its Committees and the discharge of the duties imposed on him under the Act or by the rules made there under.
- (2) Subject to such powers and duties as may be delegated by the Executive Director, the Secretary shall –
 - (a) cause all important papers and matters presented to the Board as early as practicable;
 - (b) issue directions as to the method of carrying out the decisions of the Board;

- (c) grant receipts on behalf of the Board for all moneys received under the Act;
- (d) maintain or cause to be maintained an account of the receipts and expenditure of the Board and also the various registers that may be prescribed for the Board under the Act or these rules;
- (e) receive applications from growers, curers, exporters, packers, auctioneers, dealers, owners or **lessors** of auction platforms, for registration with the Board under section 10 to 13 of the Act, examine them in accordance with the policy of Board, the provisions of the Act and the rules made there under and issuing necessary certificates of registration or otherwise communicating the decision on such **applications** to the applicants;
- (f) receive appeals, written or oral, against the decisions of the Board and taking appropriate action thereon in accordance with the provisions contained in the Act, and the rules made there under and the guidelines that may be laid down by the Tobacco Board;
- (g) present an annual draft report on the working of the Board to the Board for approval and submit the report in the form approved by the Board to the Central Government not later than the dates specified from time to time in this behalf by the Central Government for being laid before each House of Parliament; and
- (h) assist the Executive Director in all administrative matters and in the discharge of such other functions as may be decided the Executive Director.

[F.No. 2/3/2016-EP(Agri-VI)]

ANITA PRAVEEN, Jt. Secy.